झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में विभागवार प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर Walk-In-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्ति की विवरणी निम्नवत है; जो अधिक/कम हो सकती है :–

क्र0सं0	विभाग का नाम	रिक्ति	
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक
1.	कार्डियोलॉजी	01	–
2.	नेफ्रोलॉजी	01	01
3.	न्यूरोलॉजी	01	01
4.	ग्रेस्टोइन्ट्रोलॉजी (मेडिकल)	01	01
5.	ग्रेस्टोइन्ट्रोलॉजी (सर्जिकल)	01	–
6.	न्यूरो सर्जरी	01	–
7.	यूरोलॉजी	01	–
8.	कॉडियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी	01	–
9.	प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एण्ड बर्न यूनिट	01	–
	कुल योग :–	**09**	**03**

2. **अर्हताः–** सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए एम0सी0आई0 /एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव लागू होगा।
3. **चयन का आधार :–** Walk-In-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्संबंधी अभिलेखों की जाँच की जायेगी। तदनुसार विभागवार रिक्ति के विरूद्व चयनित अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा की जायेगी।
4. **नियुक्ति की शर्त्ते :–**
   a) सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर सेवाऐं प्राप्त करने के लिए एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वांछित अनुभव संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
   b) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर पदधारकों को समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
   c) चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित सेवाऐं अधिकतम 2 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, जो पहले हो, तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगी।
   d) 02 वर्ष की संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत उनके Performance का मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने पर आगामी वर्षो हेतु एक बार में एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।
   e) संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी एवं संविदा के आधार पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में नियमित नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं का दावा नहीं किया जायेगा।

f) अवकाशः— संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों को केलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु अन्य किसी अवकाश के हकदार नही होंगे।

g) चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा पर नियुक्त सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नहीं किया जायेगा।

h) चिकित्सा महाविद्यालयों में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के उतने ही पद इस व्यवस्था से भरें जायेंगे जितना नितान्त आवश्यक होगा। इन पदों पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रतिशत का अनुपालन किया जायेगा।

i) वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संविदा राशि निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प–407(9) दिनांक–02.09.21 के आलोक में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पद धारक को मानदेय– प्राध्यापक–**2,50,000**/–(दो लाख पचास हजार रूपये) एवं सह प्राध्यापक–**2,00,000**/–(दो लाख रूपये) देय होगा।

5. अधिकतम उम्र सीमा–संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा सभी वर्गों के लिए 70 वर्ष होगी।

6. वाक–इन–इन्टरव्यू **रिम्स, राँची के प्रशासनिक भवन** में निम्न तिथियों में सम्पन्न होगाः–

विभाग का नाम	पदनाम	दिनांक
कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ग्रेस्टोइन्ट्रोलॉजी (मेडिकल), ग्रेस्टोइन्ट्रोलॉजी (सर्जिकल), न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कॉडियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक एण्ड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एण्ड बर्न यूनिट	प्राध्यापक	**22.07.2023**
	सह– प्राध्यापक	**23.07.2023**

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार वेबसाईट–**www.jharkhand.gov.in/health** के अन्तर्गत **Recruitment** पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ वाक–इन–इन्टरव्यू आयोजन की तिथि पर ससमय भाग लेंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

(आलोक त्रिवेदी)
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
नेपाल हाउस, राँची– 834002

शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर Walk-In-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं

1. आवेदित पद / विभाग का नामः–
2. आवेदक का नामः–
   (क) हिन्दी में:–..
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में:–...
3. पिता / पति का नामः–..
4. जन्म तिथिः–. (अंक में)..
   (शब्द में)..
5. स्थायी पताः–ग्राम / मोहल्ला...
   पोस्ट.:–.. थानाः–.......................
   जिलाः–...........................राज्यः–.......................पिन कोडः–........................
6. पत्राचार का पताः– वर्त्तमान पता / मोहल्ला...
   पोस्ट.:–........................... थानाः–...................................
   जिलाः–...........................राज्यः–.......................पिन कोडः–........................
   ई–मेल :– ....मो0नं0–......................
7. आरक्षण कोटिः–..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र0सं0	उतीर्ण परीक्षा	बोर्ड / वि0 वि0 / संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	एम0बी0बी0एस0					
2..	एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 / डी0एम0 / एम0सी0एच0 इत्यादि					
3.	अन्य प्रमाण पत्र					

9. आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

10. आरक्षण का दावा हेतु सक्षम स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

11. अनुलग्नकों की सूचीः—

a) ....

b) ....

c) ....

d) ....

e) ....

f) ....

g) ....

h) ....

i) ....

j) ....

घोषणापत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरणी सत्य है। किसी प्रकार की गलत सूचना एवं अनुमान्य अर्हता/अनुभव नहीं पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत करने या किसी भी निर्णय के लिए चयन समिति, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सक्षम होगा तथा जो मुझे स्वीकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः—
दिनांकः—